


62

न्यायालय श्री मान पीठासीन अधिकारी राजस्व मंडल के म्यूरीवा० म०प्र०



C.F. Rs. 20/-

जगयलाल पटेल तनय लखमति पटेल निवासी ग्राम अतरैला, तहसील सिहावल,
जिला सीधी म०प्र०

----- निगरानी कता०

बनाम

- R-2456-II/13
1- केमली पत्नी बाबू पटेल,
2- लखमती पटेल तनय शम्भु पटेल,

दोनो निवासी ग्राम अतरैला, तहसील सिहावल, जिला -सीधी म०प्र०

अधिकारी श्रीमती
झारा शुक्ला

श्रीनगर, 20.3.13

कलक आफ कोटे
राजस्व मण्डल, म०प्र०
वानियर

----- गैर निगरानी कता०

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान

अपर क्लेक्टर सीधी जिला -सीधी म०प्र० के
प्र० ० २२०/निगरानी /2011-2012 'में

पारित आदेश दिनांक 26-10-12,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराष

संहिता 1959 इ०।

मान्यवर,

आधार निगरानी के निम्न है :-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विविच्छिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानी कता० को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/2456/दो/13 जिला सीधी

जग्यलाल / केमती

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

21-06-18

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक के अधिवक्ता श्री एम पी यादव उपस्थित। प्रकरण में उनके तर्क सुने गये। उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। निगरानी में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं हाने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जावे।

21/6/18
सदस्य